

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।


विषय:- मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 के नियम-4(ख) में संशोधन।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12 अगस्त, 2014

.....

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 के नियम-4(ख) में संशोधन कर, संशोधन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी, 2018 को अधिसूचित की गई है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-यथोपरि।


(के.के.कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

//2//

पृ०कमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2018

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
 3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.शासन, भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
 5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
 6. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
 7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
 8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
 9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
 10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
 11. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
 12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
 13. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
 14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
 15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं० 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।
 16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं०-103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082।
 17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/पिछडा वर्ग आयोग, भोपाल।
 18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
 19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
 20. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

31.1.18
(कै.के.कातिया)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

18.1.18

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी 2018—पौष 26, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्र. एफ-6-1-2002-आप्र-एक.—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4-ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“4-ख. आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध.—यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुर्ना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की ब्रैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्र. एफ-6-1-2002-आप्र-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 6-1-2002-आप्र-एक, दिनांक 16 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 16th January 2018

No. F. 6-1-2002-RC-I.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998 namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 4-B, the following rule shall be substituted namely:—

“4-B. **Special provisions for primitive tribes.**—If an applicant belonging to the Sahariya/Saharia Primitive tribe of districts Sheopur, Morena, Datia, Gwalior, Bhind, Shivpuri, Guna and Ashok Nagar, Baiga primitive tribe of districts Mandala, Dindori, Shahdol, Umaria, Balaghat and Anuppur and Bhariya primitive tribe of Tamia block of district Chhindwara, applies for the post of Samvida Shala Shikshak or any post of class III/IV or Forest Guard (Executive) and possesses the minimum prescribed qualification for that post, then he shall be appointed on the said post without adopting the recruitment procedure.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIA, Addl. Secy.